

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सिंग हास्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक/रजि० नर्सिंग का०/2020/

रायपुर, दिनांक / /2020

प्रति,

समस्त शासकीय/निजी
जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित 33वीं काउन्सिल परीक्षा, पाठ्यक्रम जी.एन.एम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, पुनर्गणना (Re-Totaling) की सूचना बाबत।

--:000:--

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित (33वीं काउन्सिल परीक्षा) के पुनर्गणना हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए पुनर्गणना **(Re-Totaling)** हेतु आवेदन, **E-Mail** द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि **17/06/2020** है।

पुनर्गणना आवेदन – पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश निम्न है :-

1. प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या/परीक्षार्थी, काउन्सिल द्वारा पुनर्गणना हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन पुनर्गणना हेतु आवेदन करें।
2. छात्र अपना आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरे। आवेदन पत्र के किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. पुनर्गणना आवेदन पत्र **प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्या द्वारा सत्यापित कर** प्रशिक्षण केन्द्र के Official E-Mail के माध्यम से छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल के Official E-Mail snrc.cg@gmail.com में ही स्वीकार किया जायेगा।
4. आवेदक को पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन में से किसी एक ही आवेदन की पात्रता होगी।
5. आवेदक को अधिकतम दो विषयों में ही पुनर्गणना ही पात्रता होगी।
6. पुनर्गणना आवेदन हेतु टी.आर.शीट./ऑनलाईन पेमेंट की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।
7. पुनर्गणना आवेदन पत्र से संबंधित सभी दस्तावेजों को 250 या 300 डीपीआई (Resolution) पर स्कैन कर **PDF FILE** बना कर ही E-Mail करें।
8. पुनर्गणना शुल्क **200 रु.** प्रति विषय व फार्म शुल्क **50/-** एवं भुगतान केवल Online Payment Mode द्वारा ही मान्य होगा।
9. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Cont....

10. जी.एन.एम. परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र निम्नानुसार पुनर्गणना करवाने के पात्र होंगे।
 - अ. जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष के नियमित छात्र जो दो विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयों के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)
 - ब. जी.एन.एम. तृतीय वर्ष के नियमित छात्र जो एक विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयों के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)
- उक्त पुनर्गणना प्रायोगिक (Practical) व आंतरिक (Internal) प्राप्तांक पर लागू नहीं होगा।
11. पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
 - अ. पूरक/ए.टी.के.टी की श्रेणी से सम्मिलित द्वितीय पूरक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्गणना हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।
 12. परीक्षार्थियों को पुनर्गणना परिणाम की सूचना/जानकारी संबंधित संस्था के माध्यम से **Website – www.cgncrc.org** के माध्यम से प्राप्त होगी।
 13. परीक्षार्थियों को पुनर्गणना परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबंधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि इस संबंध कार्यवाही किया जा सके।
 14. पुनर्गणना के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में कम या अधिक प्राप्त अंको को बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेंगे।
 15. पुनर्गणना के लिए छात्रों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये गये तो काउन्सिल को पूर्ण अधिकार है कि एक ही आवेदन पर विचार किया जायेगा।

नोट:— यदि इस विषय में अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन दूरभाष 0771-2227600 में कार्यालयीन समय व दिवस में संपर्क करें।

१)
रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सिंग रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/रजि० नर्सिंग कां०/2020/845
प्रतिलिपी :-

रायपुर, दिनांक 08/06/2020

1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वेबसाइट प्रति।

Shamika
रजिस्ट्रार 08/06/2020
छ.ग. नर्सिंग रजि. काउन्सिल
Raipuri रायपुर, छ.ग.